फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगज

दिनाक :- 16.06.2024

कोतवाली कायमगज पुलिस द्वारा मु0अ0स0- 121/2024 धारा-147/148/149/307/504 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमचा 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री यतेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.06.2024 को कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0स0-121/2024 धारा-147/148/149/307/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप पुत्र निरोत्तम शाक्य नि0 नगला धनी थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमंचा 315 बोर(आला कत्ल) 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, जिसके आधार पर अभियोग उपरोक्त में 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. प्रदीप पुत्र निरोत्तम शाक्य नि0 नगला धनी थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 13.06.2024 को वादी श्री ग्रीशचन्द्र पुत्र नेकराम ग्राम नियाज् नगला कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के नाती का डस्टोन (छठी) के दौरान बृजमोहन पुत्र निरोत्तम, प्रदीप पुत्र निरोत्तम, अमन पुत्र बृजमोहन निवासीगण नगला धनी थाना कम्पिल, राजेश पुत्र श्रीराम निवासी अब्दुल रहमान कोतवाली कायमगंज और नेक्से पुत्र श्यामलाल निवासी नियाज् नगला कोतवाली कायमगंज द्वारा वादी व वादी के छोटे भाई वीकेश पुत्र नेकराम व भतीजे सुखवीर पुत्र कल्लू को गाली गलौज देने लगे, गाली देने से मना किया तो उक्त सभी लोगो ने जान से मारने की नियत से वादी व वादी के परिवारिजन के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया, जिससे सुखवीर के दाहिने कंधे पर और वीकेश को बाई जांघ में गोली लग गई। वादी मुकदमा द्वारा कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0- 121/2024 धारा-147/148/149/307/504 भादवि बनाम 1.बृजमोहन पुत्र निरोत्तम आदि 05 नफर पंजीकृत कराया था। विवेचना के क्रम में दिनांक 16.06.2024 को कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त प्रदीप पुत्र निरोत्तम शाक्य नि0 नगला धनी थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर(आला कत्ल) 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, जिसके आधार पर अभियोग उपरोक्त में 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त से पूछताछ करने पर गलती की माफी मागते हुये बताया कि साहब दिनांक 27.05.2024 को मेरे भतीजे अमन पर ग्रीश चन्द्र ने अपनी पुत्री के साथ बदसलूकी की शिकायत थाना कंपिल जनपद फर्रुखाबाद पर की थी तथा मेरे भाई ब्रजमोहन,भतीजा अमन इस बात से नाराज थे। इससे हम सब लोग आवेश में आकर दिनांक 13/14.06.2024 की रात्रि में ग्रीश के घर पर डस्टोन(छठी) की दावत न देने तथा डी0जे0 बजाने को लेकर कहा सुनी हो गयी थी, लेकिन पुलिस आ गयी और हम लोगों ने समझौता कर लिया लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद रात्रि में करीब 2.30 बजे मैं,मेरा भाई ब्रजमोहन तमंचा लेकर तथा मेरा भतीजा अमन एवं नेक्से व राजेश के साथ मिलकर वीकेश एवं सुखवीर को गोली मार दी। शेष सफाई मैं अपने वकील के जरिये कोर्ट में दूगा।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा देशी 315 बोर (आला कत्ल)
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

अभि0 प्रदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 121/2024 धारा- 147/148/149/307/504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार
2. उ0नि0 नितिन कुमार
3. का0 सचिन कुमार
4. का0 रोहित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक- 16.06.2024

पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के निर्देशन में फतेहगढ़ पुलिस द्वारा वाहनों में हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरूद्ध की जा रही है विधिक कार्यवाही ।

शासन एवं यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश के आदेश निर्देशों के क्रम में दिनांक 11.06.2024 से 25.06.2024 तक वाहनों में हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद में आज दिनांक 16-06-2024 को पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस/थाना पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों / मुख्य चौराहों पर गाड़ी में नियम विरूद्ध / अवैधानिक रूप से हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म का प्रयोग करने वाले वाहनों की चैकिंग करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है । जनपद में यह अभियान लगातार प्रचलित है। समस्त वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें एवं अपने वाहनों पर अवैधानिक रूप से हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म का प्रयोग न करें ।

allwood
PU
वुड फिनिशेज़ का नया युग

GPS Map Camera
Google
Amritpur, Uttar Pradesh, India
GJR2+H3R, Amritpur, Uttar Pradesh 209622, India
Lat 27.541566°
Long 79.600286°
16/06/24 08:06 PM GMT +05:30